



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 16.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व दिया गया 56,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीट्रिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 56,000/- रु0 अर्थदण्ड दिया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.10.2017 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने व वादी को जान से मारने की धमकी देने को संबंध में थाना भरथना पर तहरीरी सूचना दी जिसके आधार पर थाना भरथना पर मु0अ0सं0 683/2017 धारा 363/366/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्री राकेश कुमार पटेल द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीट्रिंग सैल व एडीजीसी श्री आशीष चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 16.12.2024 को अन्तर्गत धारा 363/366/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय स्पे0 जज /TRC पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 56,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. अरूण कुमार पुत्र जय नारायण निवासी बहारपुरा थाना भरथना जनपद इटावा ।